

इंडियन बैंक

Indian Bank

इंडियन बैंक

पिलखुवा शाखा, हापुड़

कच्चा सूचना

(अचल सम्पत्ति के लिए)

इलाहाबाद **ALLAHABAD**

जबकि, आहोरात्राणी, प्रायिकत अधिकारी, इंडियन बैंक (पब्लिक इलाहाबाद बैंक) वित्तीय आसिस्ते का प्रवर्तितकारण और पुनर्निर्माण तथा प्रायिकत हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत, 54 वें अधिन और धारा 13(2) तथा प्रायिकत प्रायिकत हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के विधाय 3 वें अधिन प्रवर्तन अधिकारी के प्रयोग में उपचरकत / जमानतकर्ता का विवरण नीचे दिये गये कोष्ठक में सूचना में उल्लिखित रहम को कथित करने की प्रायिक की गिरी है 60 दिनों के भीतर पुनर्वाचन करने के लिए इतनाले और के लिए मान्य एवं सुवर्ण निर्मातलित विवरण को जारी किया।

उपचरकतों / जमानतकर्ता द्वारा राशि का पुनर्निर्माण करने में अपकृत पुराने घर, प्रमोति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 की धारा 8 के साथ परित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के आसिस्ते प्रवर्तन अधिकारी का प्रयोग करने पर एतदुपराधत उपचरकतों और आम लोगों को यश नीतरीय दिशा जा रहा है कि आहोरात्राणी में नीचे उल्लेख की गई सम्पत्ति पर विवरण के साथ कच्चा सूचना कर दिया है। ऋणी को वित्तीय रूप से और लोक के सामान्य रूप से एतदुपराधत सम्पत्ति से संवहानुधन व करने के लिए सामान्य किया जाता है और सम्पत्ति का कोई संवहानुधन इंडियन बैंक के प्रभार के अधीन होगा। उपचरकतों / गारंटीकर्ता का स्थान प्रतियुक्त आसिस्ते के मोचन के लिए उपलब्ध समय के सदन में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपधारा की ओर आकृति किया जाता है।

क्र.सं	ऋणी / गारंटर का नाम व पता	बैंकक सम्पत्ति का विवरण	(क) मांग नोटिस की तारीख (ख) कच्चा नोटिस की तारीख (ग) कच्चा पते
1.	1. नैसर्ग राधिका खारी मंजार (ऋणकर्ता) पता: बीडी मंदिर रोड, आर्य नगर, पिलखुवा, हापुड़- 245304. 2. रमणी श्री राजेंद्र सिंह पुत्र श्री राम कलं के सभी कानूनी वारिस (प्रोपराइटर, गारंटर एवं बंधककर्ता) पता: मकान नंबर 297, मोहल्ला आर्य नगर, पिलखुवा (परिसर के अंदर डाकघर स्थित है) एवं 3. श्री प्रकाश चंद पुत्र श्री किशन लाल (गारंटर) पता: मकान नंबर 187, मोहल्ला आर्य नगर, पिलखुवा।	आवासीय एवं व्यावसायिक भवन के सभी भाग और पार्सल, स्थित नगर पालिका संख्या 297, मोहल्ला आर्य नगर, पिलखुवा, जिला हापुड़- 245304, चॉल्ट का क्षेत्रफल 114.66 वर्ग गज। रमणी श्री राजेंद्र सिंह पुत्र श्री राम कलं के पता। टाइटल डीडी के अनुसार सीमाएँ- उत्तर- 19.0 चौड़ी सड़क, दक्षिण- अजित कुमार की संपत्ति, पूर्व- गोपाल की संपत्ति, पश्चिम- जय प्रकाश की संपत्ति। मालिक / शीर्षक धारक: रमणी श्री राजेंद्र सिंह पुत्र श्री राम कलं, निवासी नगर पालिका मकान संख्या 297 (मान जिसमें डाकघर स्थित है), मोहल्ला आर्य नगर, पिलखुवा, हापुड़।	(क) 05.06.2026 (ख) 12.10.2026 (ग) ₹ 9,16,777.67 + व्याज + अन्य चर्खे
2.	1. नैसर्ग महेश चंद मोलानाथन एक स्वामित्व भवन, प्रोपराइटर- श्री महेश चंद सिधल के माध्यम से (ऋणकर्ता) 2. श्री महेश चंद सिधल पुत्र श्री मोलानाथन सिधल (ऋणकर्ता) 3. श्रीमती चंद सिधल पत्नी श्री महेश चंद सिधल (बंधककर्ता एवं गारंटर) 4. श्री संजय कुमार पुत्र श्री मोलानाथन सिधल (गारंटर) 5. श्रीमती सीमा सिधल पत्नी श्री ओमप्रकाश सिधल (बंधककर्ता)	1. आवासीय भवन के सभी भाग और पार्सल, स्थित मकान नगर पालिका संख्या 361 पुनरा संख्या 422, वर्तमान संख्या 575, मोहल्ला मंदी, मंदिर के पीछे, पिलखुवा, परमना लाला, तखली चौधाना, जिला हापुड़- 245304. श्री महेश चंद सिधल पुत्र श्री मोलानाथन सिधल के पता, क्षेत्रफल 75.60 वर्ग गज आसिस्ते 63.23 वर्ग मीटर, टाइटल डीडी के अनुसार सीमाएँ- उत्तर, मोदीनगर सड़क, दक्षिण- अजय संपत्ति, पूर्व- सुनील की संपत्ति, पश्चिम- 12 पीछे चौड़ी सड़क। मालिक / शीर्षक धारक: श्री महेश चंद सिधल पुत्र श्री मोलानाथन सिधल, निवासी नगर पालिका संख्या 572, मोहल्ला मंदी, मंदिर के पीछे, पिलखुवा, जिला हापुड़। 2. वृत्तिकाक संपत्ति फर्म का संपूर्ण टुकड़ा, कच्चा मान, प्रक्रियाशील टुकड़ा (अपूर्ण मान), निस्ति मान, अन्य उपभोग्य सामग्रियाँ एवं संयंत्र पदार्थ, बंदी-जाला जाल (देनारिटर) तथा फर्म की अन्य सभी वर्तमान और भविष्य की संपत्ति (पूरा संपत्ति)। मालिक / शीर्षक धारक: नैसर्ग महेश चंद मोलानाथन एक प्रोपराइटरशिप फर्म, इसक प्रोपराइटर श्री महेश चंद सिधल (ऋणकर्ता) एवं प्रोपराइटरशिप फर्म, इसक प्रोपराइटर श्री महेश चंद सिधल (ऋणकर्ता)	(क) 24.11.2023 (ख) 12.10.2026 (ग) ₹ 29,34,528.00 + व्याज + अन्य चर्खे

दिनांक - 17.10.2026

स्थान - पिलखुवा

प्राधिकृत अधिकारी

जोकि न्याय कौमुदी लिमिटेड ने सुखविंद लैंगवार से आर्य उपर्यक्तता द्वारा प्राप्त ऋण सुक्या मुद्रा कौमुदी लिमिटेड के साथ उपर्यक्तता द्वारा कथन करी है वह असल संपत्ति के विपक्ष एक अशुद्धि है।

यदि उपर्यक्तता लिमिटेड सत्य के भीतर आर्यक दैनिकीयों की मुद्रा निम्नतः करने में विफल रहती है, तो उपरो कौमुदी लिमिटेड अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी उपर्यक्तता को प्राप्ति करने का हक्कार होगा, जिसमें सुखविंद संपत्ति पर कब्जा करने के लिए है, लेकिन यह किसी के मालम से या अधिग्रहित करने के उपर्यक्तता हस्तान्तरण कराना किसी अन्य को लागू करके उपर्यक्तता के ऋण धारण में कबया रिकी के सुक्या एक सीमित नहीं है। मुद्रा कौमुदी लिमिटेड को किसी या हस्तान्तरण का अधिग्रहण करना करने से पहले सुखविंद संपत्ति को समन और 7/19 साल करने का अधिकार है। सुखविंद संपत्ति की रिकी के बाद, मुद्रा कौमुदी लिमिटेड के पास कबया रिकी की सुक्या के लिए असल जानकी का उपर्यक्तता मुद्रा करने का भी अधिकार है। यदि सुखविंद संपत्ति का मूल उपर्यक्तता द्वारा मुद्रा कौमुदी लिमिटेड को दे दे कबया रिकी को कथन करने के लिए अर्थात् 7/19 है। यह उपर्यक्त मुद्रा कौमुदी लिमिटेड के लिए रिकी भी असल कथन के तहत उपर्यक्त सभी अन्य उपर्यक्तता के अधिनियम और उपरो कथन है। उपर्यक्तता का ध्यान अधिनियम की धारा 13(6) की और अर्कवित किया जाता है, जो सुखविंद संपत्ति को बापस पुडुने के लिए उपर्यक्त समय के बिना है। इसके अधिनियम, अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, उपर्यक्तता को मुद्रा कौमुदी लिमिटेड की मुद्रा लिखित सहमति के लिए किसी भी सुखविंद संपत्ति को बेचने, देणे (हैंड) के देणे या किसी अन्य तरीके से हस्तान्तरित करने (व्यसने के सामान्य-अन्य के अन्वया) से प्रतिबंधित / सीमित किया जाता है। उपर्यक्त का पालन न करके अधिनियम की धारा 29 के तहत दैनिकीय अवश्य है। मांग सुक्या रिकी प्रति अग्रहस्तारण के पास उपलब्ध है और यदि ऋणधारता बाहे, तो यह दे दे अग्रहस्तारण से प्राप्त कर सकते हैं।

रचयन : 14.10.2026
दिनांक : 18.10.2026

हस्ता / - प्रमिपुत्र अधिकारी,
सुखे मुद्रा कौमुदी लिमिटेड, officer@ugrocapital.com

एसबीएफसी फાઈનેન્સ લિમિટેડ

SBFC एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय- युनिट नंबर 103, प्रथम तल, सीएडब्ल्यू स्क्वायर, संगम कॉम्प्लेक्स, गांव चकला, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400059

[illegible][illegible]

GRIHUM गृहम हाउसिंग फाउनेस लिमिटेड	गृहम हाउसिंग फाउनेस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 6ठा तल, बी-बिल्डिंग, गंगा दूनो, लोहेगाँव, पुणे, महाराष्ट्र-411014	परिशिष्ट IV (नियम 8(1) देखें) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)
--	---	---

कब्जा सूचना
क, अशोहरताशरी में वित्तीय अस्तित्वों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत वारसु हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ पठित निर

[illegible]

उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता का नाम और क्षेत्र नं.	मांग नोटिस की तिथि और राशि	सम्पत्ति का विवरण	कच्चे की तिथि और प्रकार
श्री/श्रीमती लाल बंद (उधारकर्ता), श्री/श्रीमती लता देवी (सह-उधारकर्ता), श्री/श्रीमती महावीर (सह-उधारकर्ता), श्री/श्रीमती पवन कुमार (सह-उधारकर्ता) LP0000000187390	16.07.2026 रु. 826562/- दि. 16.07.2026 तक	अचल संपत्ति का समस्त भाग एवं अंश जोकि संपत्ति का क्षेत्रफल 191.48 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 245/1 का भाग, मीजा पयांव, तहसील छाता, जिला मधुपुर, उत्तर प्रदेश-281401 में स्थित है। सीमाएं निम्नानुसार हैं: उत्तर – ओम प्रकाश शर्मा का मकान, दक्षिण – रमेश चाहर का मकान, पूर्व – कुषी का प्लॉट, पश्चिम – 08 फीट चौड़ा रास्ता	12.10.2026 तक संकोचित कर लिया गया
श्री/श्रीमती गुलाब सिंह (उधारकर्ता), श्री/श्रीमती मीरा (सह-उधारकर्ता), श्री/श्रीमती श्री चंद (गारंटर) MLP0000000242510	16.07.2026 रु. 456410/- दि. 16.07.2026 तक	अचल संपत्ति का समस्त भाग एवं अंश जोकि आवासीय मकान, जिसकी माप पूर्व – 64 फीट, 6 फीट चौड़े रास्ते के साथ, पश्चिम – 64 फीट, गंगाराम का मकान, उत्तर – 11 फीट तथा 14 फीट 6 इंच, 10 फीट चौड़े रास्ते के साथ, दक्षिण – 18 फीट 6 इंच, 10 फीट चौड़े रास्ते के साथ, कुल क्षेत्रफल 127 वर्ग मीटर, कवर्ड क्षेत्रफल 67.92 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 312 का भाग, लाटपुर में स्थित है। उक्त संपत्ति, जिसका अधिक पूर्ण एवं विशेष विवरण नीचे लिखी अनुसूची में दिया गया है, के संबंध में एक्सआर छाता, जिला मधुपुर, उत्तर प्रदेश-281401 के कार्यालय में पंजीकृत गिफ्ट विलेज दिनांक 25.01.2025, वही संख्या 1, खंड संख्या 11712, पुष संख्या 275 से 290, क्रम संख्या 2825 के माध्यम से संपत्ति प्राप्त की गई। सीमाएं निम्नानुसार हैं: उत्तर – 10 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण – 10 फीट चौड़ी सड़क, पूर्व – 5 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम – गंगाराम का मकान	12.10.2026 तक संकोचित कर लिया गया
श्री/श्रीमती हरकेश (उधारकर्ता), श्री/श्रीमती शकुलता (सह-उधारकर्ता), श्री/श्रीमती सोनू (सह-उधारकर्ता), श्री/श्रीमती सतवीर (गारंटर) MLP0000000245170	17.07.2026 रु. 452923/- दि. 16.07.2026 तक	अचल संपत्ति का समस्त भाग एवं अंश जोकि मीजा शजवाटपुर बांगर (खसरा संख्या 351, क्षेत्रफल 138.88 वर्ग मीटर), छाता, मधुपुर, उत्तर प्रदेश-281404। यहाँ दर्जित उधारकर्ता/ कर्तव्यकर्ता उक्त मकान, क्षेत्रफल मीजा शजवाटपुर बांगर (खसरा संख्या 351, क्षेत्रफल 138.88 वर्ग मीटर), छाता, मधुपुर, उत्तर प्रदेश-281404 के पूर्ण स्वामी हैं। सीमाएं निम्नानुसार हैं: उत्तर – 6 मीटर से कम चौड़ा रास्ता, दक्षिण – चंदन की भूमि, पूर्व – चरण की भूमि, पश्चिम – सोमनन की भूमि	12.10.2026 तक संकोचित कर लिया गया
श्री/श्रीमती जितेंद्र सिंह (उधारकर्ता), श्री/श्रीमती गीता देवी (सह-उधारकर्ता), श्री/श्रीमती देवी राम (गारंटर) MLP0000000258448	28.07.2026 रु. 447551/- दि. 16.07.2026 तक	अचल संपत्ति का समस्त भाग एवं अंश जोकि आवासीय मकान, जिसकी माप पूर्व – 19 फीट, तिहेंद्र के मकान के साथ, पश्चिम – 19 फीट, 7 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर – 32 फीट, धनश्याम का मकान, दक्षिण – 32 फीट, सुंदर का मकान, कुल क्षेत्रफल 56.48 वर्ग मीटर, कवर्ड क्षेत्रफल 38.12 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 315 का भाग, मीजा शजवाटपुर बांगर में स्थित है, जिसका अधिक पूर्ण एवं विशेष विवरण नीचे लिखी अनुसूची में दिया गया है। पंजीकृत गिफ्ट विलेज, वही संख्या 1, खंड संख्या 11885, पुष संख्या 179 से 194, क्रम संख्या 8819, दिनांक 25.03.2025, उत्तर प्रदेश-281401 के माध्यम से संपत्ति प्राप्त की गई। सीमाएं निम्नानुसार हैं: उत्तर – 32 फीट – धनश्याम का मकान, दक्षिण – 32 फीट – सुंदर का मकान, पूर्व – 19 फीट – तिहेंद्र (तिहेंद्र) का मकान, पश्चिम – 19 फीट – 7 फीट चौड़ा रास्ता	12.10.2026 तक संकोचित कर लिया गया
श्री/श्रीमती रितेश बाली (उधारकर्ता), श्री/श्रीमती ओम प्रकाश (सह-उधारकर्ता), HL0000000026690	16.07.2026 रु. 1998834/- दि. 16.07.2026 तक	अचल संपत्ति का समस्त भाग एवं अंश जोकि संपत्ति संख्या 25-डी, ऊपरी मंजूर, सामने की ओर, छत के अधिकांश के बिना, खसरा संख्या 65/21 में से, प्रताप एन्क्लेव, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, नई दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तम नगर, नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-110059 में स्थित संपत्ति का क्षेत्रफल 64 वर्ग गा. सीमाएं निम्नानुसार हैं: उत्तर – 15 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण – 5 फीट चौड़ी गली, पूर्व – अन्य प्लॉट, पश्चिम – अन्य प्लॉट	12.10.2026 तक संकोचित कर लिया गया

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनःनिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (यहां के बाद 'कथित अधिनियम' के तौर पर संदर्भित) के तहत गृहम हाउसिंग फाउंडेशन लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 (12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने कथित नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60

दिनांक के अनुसार नमूने में वर्णित अनुसार राशि अदा करने के लिए नतीजे कब्जदारों को आमंत्रित करते हुए निम्न तथ्यों को माना सूचना जारी की थी।
पुनर्वसन द्वारा राशि की अदायगी में असफल होने पर, कर्जदारों तथा उनका तो सन्तुष्ट करने पर एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिपूर्ति हित प्रवर्णित नियम, 2002 के कक्षित नियमों के नियम 8 के साथ प्रति अतिरिचनियों की धारा 13 (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नतीजे वर्णित तिथियों पर नतीजे वर्णित सम्पत्तियों पर निम्नलिखित तिथियों को कब्जा कर लिया है।
कर्जदारों को विषय तौर पर और उनका तो सम्पत्ती तौर पर सम्पत्ति के साथ लेन-देन करने से एतद्वारा सावधान किया जाता है और सम्पत्ति के साथ कोई लेन-देन राशि तथा उस पर ब्याज के लिए प्रतिभूत लेनदार के प्रभार के अर्थात् होगा। कर्जदारों के ध्यान में लाया जाता है कि अतिरिचनियों की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को बचाने के लिए समय उपलब्ध है। कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	कार्जदारों का नाम	सम्पत्ति का विवरण	कब्जा करने की तिथि	विधिक मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना का पत्रिका (र. राशि (रु.)
1	ज्योत्सना ज्योत्सना, रतीश धवन सिंह	फ्रीहोल्ड आवासीय संपत्ति का वह पूरा हिस्सा, जिसमें प्लॉट नंबर 53 और 68 शामिल हैं, जिसका क्षेत्रफल 213 वर्ग गज (यानी 178.08 वर्ग मीटर) है। यह संपत्ति खाना नंबर 139 और खसरा नंबर 674 के अंतर्गत आती है और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले की दारौरी तहसील (परगना दारौरी) के महावड़ गांव में हर्डेर नगर में स्थित है। जिसे आगे 'उक्त संपत्ति' कहा गया है। संपत्ति की सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व- 18 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम- 18 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर- 21 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण- प्लॉट नंबर 34 और 67.	15/10/2026	10/08/2026	अज्ञात संख्या HL00659100000005048514 रु. 30,84,248/- (रुपये तीस लाख बीसवीं हजार दो सौ अड़तालीस मात्र), जो 10/08/2026 तक देय हैं, साथ ही भुगतान होने तक 13.2% प्रति वर्ष की दर से ब्याज.
2	सोहनवीर सोहनवीर, अमृता अमृता	510 वर्ग गज (यानी 426.41 वर्ग मीटर) क्षेत्रफल वाला फ्रीहोल्ड आवासीय मकान, जो खसरा नंबर 114 भिन का हिस्सा है। यह उत्तर प्रदेश के राठौड़ जिले की पयाना तहसील, परगना किठौरी के गाँव टोमपुर में स्थित है। (इसे आगे 'उक्त संपत्ति' कहा गया है)। सीमाएं (मिटर डांड के अनुसार): पूर्व- 9 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम- 9 फीट सिंह का मकान, उत्तर- 12 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण- नेपाल का मकान।	13/10/2026	09/04/2026	अज्ञात संख्या LAP0605200000005063430 रु. 8,43,009/- (रुपये आठ लाख तैतालीस हजार नौ सौ मात्र), जो 09/04/2026 तक देय हैं, साथ ही भुगतान होने तक 18.85% प्रति वर्ष की दर से ब्याज.
3	सूरज, नताशा	प्लॉट नंबर B-5 पर बना आवासीय फ्लैट नंबर जीएफ-02 (ग्राउंड फ्लोर), जिसका क्षेत्रफल 180 वर्ग गज है। यह खसरा नंबर 234 का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की लोनी तहसील (परगना लोनी) के गाँव सुलतुल्लाह में स्थित आवासीय कॉलोनी 'रेल विनर' में है। (इसे आगे 'उक्त संपत्ति' कहा गया है)। सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व- प्लॉट नंबर ली-15, पश्चिम- 30 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर- किसी अन्य का प्लॉट, दक्षिण- प्लॉट नंबर बी-6.	16/10/2026	10/08/2026	अज्ञात संख्या HL00399000000005000616 रु. 9,30,167/- (रुपये नौ लाख तीस हजार एक सौ सड़स मात्र), जो 10/08/2026 तक देय हैं, साथ ही भुगतान होने तक 10.8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज.
4	अनिल कुमार माधुर, रीना माधुर	आवासीय प्लॉट नंबर 128 (तीसरी मंजिल), गली नंबर 12, डी-54, जिसका क्षेत्रफल 130 वर्ग गज है। यह खसरा नंबर 299 का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की लोनी तहसील (परगना लोनी) के गाँव पखौड़ा (अशोक वाटिका) में स्थित है। इसे आगे 'उक्त संपत्ति' कहा गया है। संपत्ति की सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व- किसी अन्य का प्लॉट, पश्चिम- 15 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर- रामानंद का प्लॉट, दक्षिण- प्लॉट नंबर 127 (विशाल का प्लॉट)।	16/10/2026	10/08/2026	अज्ञात संख्या LAP0605200000005063430 रु. 8,43,009/- (रुपये आठ लाख तैतालीस हजार नौ सौ मात्र), जो 09/04/2026 तक देय हैं, साथ ही भुगतान होने तक 18.85% प्रति वर्ष की दर से ब्याज.
5	नरेश कुमार, धर्म शिला	वह संपूर्ण हिस्सा और भूखंड 58 वर्ग गज क्षेत्रफल वाला आवासीय फ्रीहोल्ड प्लॉट (खसरा नंबर 792 का हिस्सा), जो राजा गार्डन फेज-1, ग्राम मौपपुर, हिंडू, परगना व तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में स्थित है। सीमाओं का विवरण (दस्तावेजों के अनुसार): पूर्व- प्लॉट का शेप हिस्सा, पश्चिम- 15 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर- प्लॉट का शेप हिस्सा, दक्षिण- प्लॉट का शेप हिस्सा।	16/10/2026	10/08/2026	अज्ञात संख्या HL00707100000005064082 रु. 6,24,708/- (रुपये छह लाख बीसवीं हजार सात सौ आठ मात्र), जो 10/08/2026 तक देय हैं, साथ ही भुगतान होने तक 13.45% प्रति वर्ष की दर से ब्याज.
ध्यान दें: किसी भी स्थिति में, अगर स्थानीय भाषा के प्रकाशन और अंग्रेजी अखबार के प्रकाशन की सामग्री में कोई अंतर होता है, तो 'फाइनल' अखबार में प्रकाशित अंग्रेजी अखबार की सामग्री ही मान्य होगी।					
स्थान: दिल्ली तिथि: 18.10.2026			हस्ता- / प्राधिकृत अधिकारी गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड		